न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

विराजमान अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

उनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 34 / 2016

1. नसीबकौर पत्नी सरदारसिंह जाति जटसिख निवासी 22 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. कर्मसिंह
3. गुरचरणसिंह
4. सुरेन्द्रसिंह

} पुत्रगण सरदारसिंह जाति जटसिख निवासी 22 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

5. दरबारासिंह पुत्र श्री बच्चनसिंह जाति जटसिख निवासी 22 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर। (विलोपित दिनांक 05.06.2017)
6. गोपालराम पुत्र श्री घमण्डीराम जाति अरोड़ा निवासी 23 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. सुखदीपकौर पत्नि सुखदेवसिंह जाति जटसिख निवासी 22 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. कुलविन्द्रसिंह पुत्र दरबारासिंह जाति जटसिख निवासी 22 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. बनवारी पत्नी बसन्तीराम जाति मेघवाल निवासी 22 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. पतराम
3. जगराम

} पुत्रान बसन्तीराम जाति मेघवाल निवासी 22 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

4. रामरख पुत्र बसन्तीराम जाति मेघवाल निवासी 22 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर। (मृतक)
   - 4.1 श्योपारी पत्नि रामरख जाति मेघवाल निवासी 22 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
   - 4.2 भजनलाल पुत्र रामरख जाति मेघवाल निवासी 22 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
   - 4.3 महेन्द्र रामरख जाति मेघवाल निवासी 22 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
   - 4.4 सुमन पुत्री रामरख जाति मेघवाल निवासी 22 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. लाधुराम पुत्र बसन्तीराम जाति मेघवाल निवासी 22 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. लिछमा देवी पत्नी ठाकरराम जाति मेघवाल निवासी 22 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. राजो
8. गोमा
9. रोशन
10. फूलाराम

} पुत्री व पुत्र ठाकरराम जाति मेघवाल निवासी 22 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार 2

11. अंग्रेजसिंह पुत्र मिट्ठुसिंह जाति जटसिख निवासी 116 नई धान मण्डी श्रीगंगानगर
12. नीरज कामरा पुत्र श्री प्रीतमचन्द कामरा जाति अरोड़ा निवासी 465 विनोबा बस्ती श्रीगंगानगर।
13. लालसिंह पुत्र श्री बच्चनसिंह जाति जटसिख निवासी 22 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
14. मनीराम पुत्र श्री रामलाल जाति नाई निवासी 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
15. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार गंगानगर।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री राजकुमार नागपाल अधिवक्ता	प्रार्थीगण
2. श्री बलराम सुथार अधिवक्ता	अप्रार्थी संख्या 13
3. श्री नवजीत पन्नू अधिवक्ता	अप्रार्थी संख्या 4.1 ता 4.4
4. श्री बलविन्द्र सिंह बराड़ अधिवक्ता	अप्रार्थी 5, 11, 12
5. श्री भरत भुषण नागपाल अधिवक्ता	अप्रार्थी संख्या 2, 3, 7, 9, 10

6. अप्रार्थी संख्या 1 व 14 के विरूद्ध एक पक्षीय दिनांक 06.01.2014

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 08.06.2017

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पास चक 22 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1 ता 25 व मुरब्बा नम्बर 47 में 12.10 बीघा भूमि है,

अप्रार्थीया बनवारी पत्नी बसन्तीराम के पास चक 22 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 57 में 2.004 हैक्टर पतराम भतीजा श्री बस्तीराम के पास 0.910 हैक्टर, जगराम, रामरख, लाधुराम पिसरान श्री बस्तीराम 0.547 हैक्टर, लिछमा पत्नी श्री ठाकरराम, राजो, गोमादेवी पुत्रियां श्री ठाकरराम, रोशन फुलाराम पिसरान ठाकरराम के पास 1.092 हैक्टर बतौर खातेदारी कृषि भूमि है अप्रार्थी अंग्रेजसिंह पुत्र श्री मिट्ठूसिंह जाति जटसिख निवासी 22 एम.एल. के पास चक 22 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 4, 5, 7 में 0.433 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि है, लालसिंह पुत्र बच्चनसिंह के पास मुरब्बा नम्बर 56 के किला नम्बर 1 ता 18 में 3.275 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि है, अप्रार्थी नीरज कामरा के पास मुरब्बा नम्बर 56 के किला नम्बर 4, 5, 6, 7 में 0.456 हैक्टर कृषि भूमि व मनीराम के पास मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 1 ता 8 में 4.427 हैक्टर भूमि है।

प्रार्थीगण को अपनें रकबा में गांव से खेत में जानें के लिये कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है यह कि अप्रार्थीगण के पास क्रमशः मुरब्बा नम्बर 56, 57, 58 के किला नम्बर 1 ता 5 में रास्ता चल रहा है, मगर यह रास्ता पूर्व में स्वीकृत था बाद में खारिज हो गया। वर्तमान में यह रास्ता स्वीकृत नहीं है।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

प्रार्थीगण को अपनें रकबा में आनें जानें के लिये रास्ता की आवश्यक्ता है, जो मुरब्बा नम्बर 56, 57, 58 कि किला नम्बर 1 ता 5 में से सुविधाजनक है, और गांव के बिल्कुल पास न है, और इसके अलावा प्रार्थीगण को अपनें खेत में जानें का सुविधाजनक कोई भी रास्ता नहीं है।

प्रार्थीगण रास्ते में आई कृषि भूमि की न्यायालय के आदेशानुसार राशि जमा करवानें को तैयार है। अतः चक 22 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 56, 57, 58 के क्रमशः किला नम्बर 1 ता 5 में से 2–2 बिस्वा (0.260) हैक्टर रास्ता स्वीकृत किया जावे ताकि प्रार्थीगण अपनें रकबा में आ जा सके।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया बाद तलबी अप्रार्थी संख्या 1 व 14 उपस्थित नहीं आनें पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई ।

A35/3

तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 5, 6, 15 में प्रत्येक 0.013 हैक्टर भूमि राजेन्द्र कुमार, मनीराम पिरसान श्री रामलाल व किला नम्बर 16, 25 मनीराम पुत्र श्री रामलाल के नाम के नाम खातेदारी दर्ज है। मुरब्बा नम्बर 46 में मौका के अनुसार 8 फुट रास्ता चालु है। मौका नक्शा की प्रति संलग्न रिपोर्ट है।

मुरब्बा नम्बर 56, 57 के किला नम्बर 1 जा 5 प्रत्येक में 0.013 हैक्टर रास्ता स्वीकृत था जो उपखण्डाधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 07.09.2013 को निरस्त कर दिया गया था मौके पर रास्ता नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 13 द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया शामिल पत्रावली किया गया जबाब प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत कथन किया गया कि बनवारी पत्नी बस्तीराम का मार्च 2009 में ही देहान्त हो चुका है अतः मृतक व्यक्ति को पक्षकार बनाकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो इसी स्टेज पर खारिज करनें योग्य है, क्योंकि किसी मृतक व्यक्ति के खिलाफ न तो कोई वाद कारण हासिल होता है न ही कोई निर्णय व आदेश ही पारित किया जा सकता है।

चक 22 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में पूर्व दिशा में रास्ता चल रहा है। इस सम्बंध में तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 15.10.2013 में ही स्पष्ट अंकित किया गया है, कि मुरब्बा नम्बर 46 में मौका के अनुसार 8 फुट रास्ता चालु है।

आज से 34 वर्ष पूर्व 1982 में तेजासिंह पुत्र श्री मुख्त्यारसिंह जाति जटसिख निवासी चक 22 एम.एल. द्वारा एक प्रार्थना पत्र श्रीमान् एस.डी.एम. श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत कर मांग की गई कि मुरब्बा नम्बर 56, 57 के किला नम्बर 1 ता 5 में से 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे इस पर अप्रार्थी लालसिंह द्वारा भी एतराज किया गया था कि रास्ता मुरब्बा नम्बर 46, 47 में से उत्तर से दक्षिण में रास्ता स्वीकृत किया जावे।

दिनांक 17.01.1983 के द्वारा मुरब्बा नम्बर 56 के किला नम्बर 1 से 5 व मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 1 ता 5 में से 1–1 बिस्वा रास्ता कायम किया गया।

उक्त आदेश के खिलाफ राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील पेश की गई जिसका निर्णय दिनांक 14.09.1983 को करते हुए आदेश पारित किया गया कि अप्रार्थीगण की मौरूसी भूमि है, जिसमें से उक्त रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता तथा परिणाम स्वरूप अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर दिया गया।

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी (राज.)
श्रीगंगानगर

इस आदेश के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील पेश की जाकर रास्ता को मन्जूर करनें हेतु मांग की गई माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01.03.189 को निर्णय करते हुए अपील स्वीकार कर राजस्व अपील अधिकारी का आदेश दिनांक 14.09.1983 को निरस्त कर दिया गया तथा अतिरिक्त कलैक्टर का आदेश दिनांक 17.01.1983 को बहाल रखा गया।

उक्त आदेश दिनांक 01.09.1983 के खिलाफ सिविल रिट पैटीशन संख्या 2443/1991 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश की गई जिसका फैसला दिनांक 24.09.1991 को किया गया तथा राजस्व मण्डल अजमेर का फैसला निरस्त करते हुए आदेश दिया गया कि दोनो पक्षों को सुनकर फैसला किया जावे दिनांक 20.12.199 को तत्कालीन उप–जिलाधीश नें आदेश पारित किया व पत्रावली दाखिल दफ्तर हो गई इस प्रकार प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया।

यह कहना गलत है, कि प्रार्थी को अपनें खेत में जानें का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है बल्कि मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 की पूर्वी दिशा में रास्ता पहले से ही चल रहा है तथा जब पहले से रास्ता का विकल्प मौजूद है, तो नये रास्ते के लिये कानूनन प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आये, बल्कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त तथ्यों को छिपाया गया है तथा मृतक के खिलाफ प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, विकल्प में रास्ता मुरब्बा नम्बर 46 में मौजूद है। मुरब्बा नम्बर 56, 57 में कभी भी रास्ता नहीं चला है। प्रार्थीगण आज तक मुरब्बा नम्बर 46 में रास्ता का उपयोग कर रहे है। अप्रार्थीगण निवेदन करते है, कि प्रार्थीगण नें सही तथ्यों को छिपाया है सही तथ्य यह है, कि प्रीतमसिंह द्वारा राजेन्द्र कुमार, मनीराम को चक 22 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नबम्बर 5, 6, 15 में पूर्वी दिशा में 1–1 बिस्वा कुल 3 बिस्वा नहरी मय तमाम हकुक मलकीयती खाला पानी रास्ता दिनांक 06.05.2003 को बैय किया और रास्ता मौके पर चालू है। नकल बैयनामा संलग्न है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 स्वीकार नहीं है, क्योंकि पहले से ही रास्ता चालू है विकल्प में मौजूद है अतः नये रास्ता की न तो जरूरत है, न ही कानूनन दिलाया जा सकता है। तहसीलदार की रिपोर्ट व नक्शा का अवलोकन किया जा सकता है। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में केवल यही प्रावधान है, कि रास्ता न हो तो रास्ता दिलाया जावे, जबकि पहले से ही रास्ता नहीं दिलाया जा सकता, न ही कानून में ऐसा प्रावधान है।

प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में जाकर अदालतवाला में आया है व दिनांक 20.12.1999 का मामला दाखिल दफ्तर कर दिया गया है। अतः अधिक से अधिक इसको रिस्टोर करवाये जानें की कार्यवाही की जा सकती थी, नया प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जा सकता था मुरब्बा नम्बर 56, 57, 58 के किला नम्बर 1 ता 5 में से वर्ष 1982 से लेकर आज तक कभी भी रास्ता चालू नहीं रहा है तथा न ही मौके पर रास्ता स्वीकृत है, बल्कि रास्ता मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में से चल रहा है, जिससे प्रार्थीगण अपनें रकबा में आ जा सकते है, अतः पहले से रास्ता का विकल्प मौजूद होते हुए नया रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, न ही करवाया जा सकता है।

मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 5, 6, 15 में रास्ता है और प्राथीगण मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 25, 21 में से रास्ता स्वीकृत करवा कर लिंक रोड़ पर आ सकते है और आज तक वर्षो से आ जा रहे है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज किये जानें योग्य है।

लगातार 5

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौराने बहस प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थी की भूमि में आनें जानें हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प भी नहीं है। तथा चाहा गया रास्ता सबसे कम दूरी का होनें के कारण सुविधा सन्तुलन की दृष्टि भी भी उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है। तथ प्रार्थी की भूमि को आनें जानें हेतु प्रार्थी के ग्राम से इस रास्ते के अलावा कम दुरी का कोई रास्ता नहीं होनें के कारण प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता नम्बर 56, 57, 58 के किला नम्बर 1 ता 5 को स्वीकृत किया जावे।

अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा दौरानें बहस कथन किया कि चक 22 एम.एल. के 44 से 46 को लिक रोड़ 22 एम.एल. से लठ्ठावाली को जा रही है। जो कि मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 5 ता 1 में से जा रही है। तथा मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में से पहले से ही रास्ता चल रहा है जो कि मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 5 के साथ जाकर लगता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि पहले से ही रास्ता मौके पर चल रहा है। मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 5, 6, 15 प्रत्येक का एक–एक बिस्वा पूर्वी साईड का बैयनामा रास्ता के सम्बंध में प्रीतमसिंह द्वारा राजेन्द्र कुमार मनीराम के हक में दिनांक 06.05.2003 को करवाया गया है। जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन है। मुरब्बा नम्बर 44, 45, 46 मे से कि रोड़ 22 एम.एल. से लठ्ठावाली को जा रही है। मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 मे से रास्ता मौजूद है। जो, कि मुरब्बा नम्बर 47 को जाकर लगता है। प्रार्थीयान द्वारा चाहे गये रास्ते के सम्बंध में पूर्व में भी वाद विचाराधीन रहा था जो विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण रिमाण्ड करनें पर पुनः विधि सम्वत् निर्णय किया जाकर रास्ता को निरस्त किया जा चुका है। धारा 251 (क) के प्रावधान के अनुसार अगर किसी रकबा के लिये पहले से कोई रास्ता स्वीकृत ना हो तो ही रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। मगर प्रार्थीयान की भूमि पर आवागमन हेतु प्रार्थीयान द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि के अलावा अन्य विकल्प में रास्ता है, जो मौके पर चालू है, यह तहसीलदार की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है। अतः प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की मांग को निरस्त करते हुए प्रार्थीयान की भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता जो वर्तमान में चल रहा है, को ही स्वीकृत किया जावे।

उभयपक्ष की बहस सूनी जाकर बाद अवलोकन पाया गया मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 5, 6, 15 में एक– एक बिस्वा पूर्वी दिशा में कुल 3 बिस्वा भूमि रास्ता हेतु जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा से क्रय की गई है, बैयनामा की शर्त के अनुसार क्रय की गई भूमि रास्ता के उपयोग हेतु ही काम मे ली जावेगी इस भूमि पर किसी भी पक्षकार द्वारा काश्त नहीं की जावेगी। इससे सिद्ध होता है, मुरब्बा नम्बर 47, 48 के काश्तकारान को अपनी भूमि पर पहुचनें के लिये मुरब्बा नम्बर 46 से ही वैकल्पिक रास्ता जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार चालू है, को स्वीकृत करवाये जानें कि हकदार है।

तहसीलदार की रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा का अवलोकन करनें से स्पष्ट होता है, कि यदि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते मुरब्बा नम्बर 56, 57, 58 में से रास्ता को स्वीकृत किया जाता है, तो कुल 30 बिस्वा (0.360) हैक्टर भूमि को रास्ता हेतु गैर मुमकिन घोषित की जावेगी। वैल्पिक रास्ता मुरब्बा नम्बर 46 मे जो मौके पर चालू है को यदि स्वीकृत किया जाता तो कुल 5 बिस्वा (0.060) हैक्टर भूमि को ही गैर मुमकिन घोषित किया जावेगा।

लगातार 6

– :: आदेश ::–

प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़नें हेतु मुरब्बा नम्बर 56 व 57 में से रास्ते की मांग की गई है जो कि न केवल लम्बा है, बल्कि मुरब्बा नम्बर 56 व 57 के काश्तकारान के लिये असुविधाजन भी है अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत भूमि की काश्त को महत्व देते हुए तथा प्रार्थीगण की भूमि में आवागमन हेतु रास्ता की कम दूरी को मध्यनजर रखते हेतु जरिये बैयनामा रास्ता हेतु क्रय की गई भूमि चक 22 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 5, 6, 15 में एक– एक बिस्वा पूर्वी दिशा में कुल 3 बिस्वा भूमि को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है। क्रय की गई भूमि को मुआवजा सम्बंधित प्रतिफल पूर्व में सम्बंधित काश्तकारान को दिये जानें तथा बैयनामा की शर्त के अनुसार भूमि रास्ता के उपयोग में लिये जानें के कारण किसी भी पक्षकार को वर्तमान मे कोई मुआवजा/प्रतिफल देय नहीं है।

प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि पर आवागमन हेतु चक 22 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 5, 6, 15 में एक–एक बिस्वा पूर्वी दिशा में स्वीकृत रास्ता को आगे बढ़ाते हुए किला नम्बर 16 व 25 में भी पूर्वी दिशा में एक–एक बिस्वा कुल दो बिस्वा रास्ता को स्वीकृत किया जाता है, जिसका मुआवजा स्वरूप डी.एल.सी. दुगना प्रार्थीगण सम्बंधित काश्तकारान को अदा करेंगें।

अप्रार्थीगण को रास्ते चक 22 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 16 व 25 की भूमि के मुआवजे के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा पूर्व में डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाये जानें के उपरान्त राजस्व अभिलेख में रास्ता का अंकिन किया जाकर सम्बंधित काश्तकारान को तहसीलदार अपनें स्तर वर उनके हिस्सा अनुसार राशि का वितरण करेगें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 08.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोनी के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर